

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)
बईजलास सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

मु. कान्ता पुत्री मांगू नायक निवासी सारांश तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

— वादी

बनाम

- 1-8 शांतिलाल, कालूराम, हेमराज, नगजीराम, मु. ग्यारसी, मु. देवली, मु. भागुती, मु. छोटी पिता धन्ना नायक निवासी सारांश तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 9- काना पिता मांगू नायक निवासी सारांश तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 10- भंवर पिता मांगू नायक निवासी सारांश तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 11- मु. रोड़ी पुत्री मांगू नायक निवासी सारांश तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 12- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र : बंटवाड़ा आराजियात

मुकदमा नम्बर 42/2018 राजस्व वाद


यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई वX मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 13 माह 10 सन् 2025 को जारी की गई।




(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा